

प्रेषक,

महानिदेशक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून।

सेवा में,

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड।

महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा

दिनांक ८ नवम्बर, 2013

विषय :- आकस्मिक निरीक्षण, अनिवार्य रथानान्तरण व शिक्षक-कर्मियों के सम्बद्धीकरण से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध कराये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक रत्नम्-2 में महानिदेशालय के उल्लिखित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा रत्नम्-3 में वांछित कार्यवाही/सूचना महानिदेशालय को तत्काल/एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये गये थे।

क्र. सं.	पत्र संख्या व दिनांक	अपेक्षित कार्यवाही/सूचना	निर्धारित समय
1	2	3	4
1	4791-4612/23(1)-नौ/2013 दिनांक 10 अक्टूबर, 2013 एवं पत्र संख्या 4778-95/ 23(1)-नौ/2013 दिनांक 17 अक्टूबर, 2013 व पत्र संख्या 4760-77/ 23(1)-नौ/2013 दिनांक 17 अक्टूबर, 2013 (निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड व मण्डलीय व जनपदीय अधिकारियों को सम्बोधित व पृष्ठांकित)	उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं रथानान्तरण नियमावली-2013 के अन्तर्गत किये गये अनिवार्य रथानान्तरणों के फलस्वरूप कार्यभार मुक्त व ग्रहण की सूचना, कार्यभार मुक्त न होने व ग्रहण न करने वाले शिक्षकों के विरुद्ध कार्यवाही तथा अनुरोध के आधार पर प्राप्त आवेदन पत्रों का संख्यात्मक विवरण	एक सप्ताह
2	4813-54/2013-14 दिनांक 10 अक्टूबर, 2013 (निदेशक, प्रा.शि./मा.शि./ अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण को सम्बोधित एवं अन्य समस्त राज्य/मण्डल व जनपदीय अधिकारियों को पृष्ठांकित)	अपने मूल तैनाती स्थल से अन्यत्र सम्बद्ध शिक्षकों-कर्मचारियों को तत्काल कार्यमुक्त करते हुये इस आशय का प्रगाण पत्र उपलब्ध कराने विषयक कि अब कोई भी शिक्षक-कर्मी सम्बद्ध नहीं है। (जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.शि. घम्पावत से प्राप्त)	तीन दिन के अन्दर
3	4826-43/23(12)-दो/2013 दिनांक 22 अक्टूबर, 2013 व पत्र संख्या-4903-12 दिनांक 24 अक्टूबर, 2013 (मण्डल अपर निदेशक, मा.शि./प्रा.शि. व मुख्य शिक्षा अधिकारियों को सम्बोधित व पृष्ठांकित)	दिनांक 21 अक्टूबर, 2013 को किये गये आकरिमक निरीक्षण के दौरान बिना अवकाश स्वीकृति के अनुपरिधित पाये गये अध्यापकों व शासकीय कार्य पर गये अध्यापकों का विवरण उपलब्ध कराने व जनपद चंगोली में बन्द पाये गये 05 विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों-अध्यापकों के विरुद्ध कार्यवाही सम्बन्धी	तत्काल

क्र. सं.	पत्र संख्या व दिनांक	अपेक्षित कार्यवाही / सूचना	निर्धारित समय
1	2	3	4
4	4887-94/23(12)-दो/2013 दिनांक 24 अक्टूबर, 2013 (मुख्य शिक्षा अधिकारी, बांगली, पौड़ी, उत्तरकाशी व हरिद्वार को सम्बोधित व निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा व अपर निदेशक मण्डलव संयुक्त निदेशक मिल-दे-मिल को पृष्ठाओंका)	जनपद चमोली में 03 व जनपद पौड़ी, उत्तरकाशी, व हरिद्वार में एक-एक विद्यालयों में मध्याह भोजन न बनने सम्बन्धी	एक सप्ताह (जनपद चमोली से प्राप्त)
5	4895-4902/23(12)-दो/2013 दिनांक 24 अक्टूबर, 2013 मुख्य शिक्षा अधिकारी, पिथौरागढ़, बांगली, उत्तरकाशी व रुद्रप्रयाग को सम्बोधित व निदेशक प्रारम्भिक / मध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड को सम्बोधित	दिनांक 21 अक्टूबर, 2013 को न्यून विद्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण करने पर स्पष्टीकरण	एक सप्ताह (जनपद रुद्रप्रयाग से प्राप्त)

किन्तु उपरोक्त सूचनाओं की समीक्षा के समय देखा गया कि सूचनायें निर्धारित समय पर उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं, जो कि अत्यन्त खेद का विषय है। समरत अधिकारियों को अन्तिम अवसर प्रदान करते हुये दो दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित समय पर सूचना प्राप्त न होने की दशा में सम्बोधित अधिकारी की गोपनीय आख्या में प्रतिकूल प्रविष्टि हेतु संरक्षित कर दी जायेगी।

भवदीय,

[Signature]

(राधिका झा)

महानिदेशक

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ.सं: ५०८३-५१५७ /23(1)-नौ/2013 तददिनांक
प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन के अवलोकनार्थ।

(राधिका झा)

महानिदेशक

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ कि उक्त सम्बन्ध में दो दिन के अन्दर कार्यवाही करते हुये महानिदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें :-

1. अपर निदेशक, माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा, मुख्यालय।
2. अपर निदेशक, माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल / कुमाऊँ नण्डल।
3. संविव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर, नैनीताल।
4. अपर राज्य परियोजना निदेशक, राव शिक्षा अभियान उत्तराखण्ड।
5. अपर निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी. उत्तराखण्ड।
6. संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान उत्तराखण्ड।
7. परियोजना प्रबन्धक, राज्य साक्षरता मिशन उत्तराखण्ड।
8. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. रामरत्र प्राचार्य, डायट / डी.आर.सी., उत्तराखण्ड।
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
11. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
12. प्रमारी, एम.आई.एस. को इस निर्देश के साथ कि इस पत्र को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

[Signature]

(राधिका झा)

महानिदेशक

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड